संख्या-598/2018/1327/22-2-2018-17(120)/2013

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 24 अगस्त, 2018**

विषय केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयपाल सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी जनपद-सहारनपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25515/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-09-07-2018) दिनांक-17-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 17-07-2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जयपाल सिंह पुत्र श्री शोभाराम, निवासी-म0न0-2 बी0-973 निकट-दुर्गा मन्दिर, मो0-नवीनगर, थाना-सदर बाजार, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर तैनात था दिनांक 02-01-1994 को प्रात: लगभग 11:00 बजे बैरक के सामने बरामदे में साथी सिपाही रामस्वरूप की रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-138/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 20.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2007 द्वारा अपील को खारिज करते हुए उक्त दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 23 वर्ष 11 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी 02-01-1994 को बैरक के सामने बरामदे में साथी सिपाही रामस्वरूप की रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 57 वर्ष 05 माह लगभग है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयपाल पुत्र श्री शोभाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत प्रकरण क्रिमि0 रिट याचिका संख्या-3079/2018 ऋषिपाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.04.2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जयपाल सिंह (बन्दी संख्या-33859) पुत्र श्री शोभाराम, निवासी जनपद-सहारनपुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति, सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-598/2018/1327(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद सहारनपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-598/2018/1327/22-2-2018-17(120)/2013

दिनांक 24 अगस्त, 2018 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जयपाल सिंह (बन्दी संख्या-33859) पुत्र श्री शोभाराम, निवासी-म0न0-2 बी0-973 निकट-दुर्गा मन्दिर, मो0-नवीनगर, थाना-सदर बाजार, जनपद-सहारनपुर का रहने वाला है। बन्दी पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर तैनात था दिनांक 02-01-1994 को प्रात: लगभग 11:00 बजे बैरक के सामने बरामदे में साथी सिपाही रामस्वरूप की रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-138/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 20.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.05.2007 द्वारा अपील को खारिज करते हुए उक्त दण्ड को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2018 तक 23 वर्ष 11 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 30 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी**,** पुलिस अधीक्षक एवं **जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति** द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी 02-01-1994 को बैरक के सामने बरामदे में साथी सिपाही रामस्वरूप की रिवाल्वर से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 57 वर्ष 05 माह लगभग है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता**,** जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जयपाल पुत्र श्री शोभाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** कर दी गयी है।

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in